न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 53 / 17

श्री सोनवीर उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत पला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर (द्वितीय) जरिये पैरोकार सरकार

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 1–8–2017 प्रकरण संख्या 21 / 2017 एवं 24 / 14

निर्णय **दिनांक 13.11.2017**

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) भरतपुर के आदेश दिनांक 1–8–2017 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर किया जाकर जमा प्रतिभूमि राशि 1000 / – रुपये जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद गलत हैं। उनका कहना है कि तहत न्यायालय ने प्रकरण संख्या 21 / 2017 एवं प्रकरण संख्या 24 / 2014 को क्लव कर एक ही निर्णय से निस्तारण किया गया है। उनका कहना है कि प्रकरण संख्या 21 / 2017 में कारण बताओ नोटिस का सन्तोषप्रद जबाब तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। तहत न्यायालय ने उक्त प्रकरण में जबाब के साथ उपभोक्ताओं के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण दोषी माना है। जब कि तहत न्यायालय को सम्बन्धित उपभोक्ताओं को तलब कर जांच करनी चाहिये थी। जांच में आरोपों की पुष्टी नहीं की गई है और प्रार्थी को इकतरफा में दोषी मान लिया गया है, जो गलत है।

प्रकरण संख्या 24 / 2014 के सम्बन्ध में योग्य अभिभाषक ने बताया कि इस प्रकरण में प्रार्थी डीलर को तीन बार कारण बताओ नोटिस कमशः दिनांक 13.5.2014, दिनांक 6.12.2014 एवं दिनांक 13.3.2015 को जारी किये गये हैं। जब कि प्रकरण में एक बार में आरोपों को निर्धारित कर नोटिस जारी किया जाना चाहिये था। परन्तु यहॉ ऐसा नहीं किया गया है। उनका कहना है कि प्रथम कारण बताओ नोटिस का जबाब

.....2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पेश किया गया जिस प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट में प्रार्थी दोषी नहीं है। परन्तु तहत न्यायालय ने प्रवर्तन निरीक्षक को पुनः जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को लिखा गया। दुबारा प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिस पर तहत न्यायालय ने पुनः कारण बताओ नोटिस प्रार्थी डीलर को जारी किया गया जिसका जबाब पेश किया गया, जिस पर तहत न्यायालय फिर से प्रवर्तन निरीक्षक को जॉच कर रिपोर्ट पेश करने को निर्देशित किया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा बार बार प्रवर्तन निरीक्षक से जॉच कराना यह सारी कार्यवाही अप्रत्यक्ष रुप से प्रार्थी कजदन कर दण्डित करने की मंशा को स्पष्ट करता है। जब कि प्रार्थी ने अपने जबाब के साथ उपभोक्ताओं के शपथ पत्र तहत न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें उपभोक्ताओं ने राशन सामग्री मिलना स्वीकार किया है। अपीलान्ट द्वारा तहत न्यायालय में सम्बन्धित उपभोक्ताओं के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। परन्तु तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में प्रस्तुत शपथ पत्रों पर अंगुठा निशानी व हस्ताक्षर मिलान नहीं होना अंकित करते हुये प्रस्तुत शपथ पत्रों को संदेह में मानते हुये आरोपों को स्वीकार किया गया है। उनका तर्क है कि ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय को चाहिये था कि वे कथित उपभोक्ताओं को तलब कर सत्यता की जांच करनी चाहिये थी। अपीलाधीन आधीन आदेश नियम विरुद्व इकतरफा में पारित किया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार रसद का कहना है कि अपीलान्ट डीलर पर रिकार्ड के आधार पर जॉच कर आरोप लगाये गये हैं जिनके आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। मौके पर शिकायतकर्ताओ के बयान लिये गये हैं। डीलर के खिलाफ लगाये गये सभी आरोप सही पाये गये हैं। तहत न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अपील गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.8.2017 पर गौर किया गया। कारण बताओ नोटिसों एवं अपीलार्थी डीलर द्वारा तहत न्यायालय में प्रस्तुत जबाब का अवलोकन किया गया।

अपीलाधीन आदेश प्रकरण संख्या 21 / 2017 के विवेचन के अन्त में अंकित डीलर द्वारा जबाब के साथ साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण अपीलान्ट को दोषी माना है। तहत न्यायालय को जबाब की ताईद में सम्बन्धित उपभोक्ताओं को तलब कर सत्यता की जांच करनी चाहिये थी।

अपीलाधीन प्रकरण संख्या 24 / 2014 में तहत न्यायालय ने प्रस्तुत शपथ पत्रों पर विवेचन करते हुये पेज 10 में अंकित किया है कि :–

.....3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

''.....शपथ पत्र प्रस्तुत कर्ताओं ने अपने शपथ पत्र में डीलर से राशन सामग्री नियमित रुप से प्राप्त करने एवं बिना राशनकार्ड के राशन सामग्री लाने की पुष्टि की है। लेकिन इन शपथ पत्रों में शपथकर्ता ने यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि डीलर से राशन सामग्री निर्धारित दर से प्राप्त की है .....।''

इससे यह जाहिर है कि तहत न्यायालय द्वारा शपथ पत्रों में राशन सामग्री निर्धारित दर पर प्राप्त करने का उल्लेख नहीं करने के आधार पर अपीलान्ट को दोषी माना है। यानि तहत न्यायालय यह तो मानता है कि उपभोक्ताओं ने डीलर से सामग्री प्राप्त की गई है। जंहा तक सामग्री का निर्धारित दर पर प्राप्त करने या नहीं करने का है, इस तथ्य की सत्यता के लिये तहत न्यायालय को सम्बन्धित उपभोक्ताओं को तलब जॉच करनी चाहिये थी। परन्तु यहॉ ऐसा नहीं कर बिना किसी आधार के अपीलान्ट डीलर को प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,3,5,7,9,11,15,16,17(ग) 17(सी) का उल्लंघन करने का दोषी मान लिया गया है।

न्यायिक दृष्टि से कोई भी कानून तब लागू होता जब कि तथ्यात्मक आरोप साक्ष्य के आधार पर सिद्ध हो जावें। आदेश 1976 के किस प्रावधान में व प्राधिकार पत्र की किस शर्तों का किस रुप में उल्लंघन किया गया है स्पष्ट किया जाना चाहिये। डीलर द्वारा दिये गये जवाब एवं शपथ पत्रों को मध्यनजर पृथक–पृथक बिन्दु पर विवेचना कर साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी को सुनवाई एवं जिरह का अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण पुनः निर्णय लिये जाने जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 1–8–2017 निरस्त किया जाता है। डीलर की वितरण व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से चालू की जाती है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रकरण का परीक्षण करें। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देते हुये विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 13–11–2017 को सुनाया गया।

(डा.एन.के. गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर